न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/47/2021

1. बिरदीचन्द पुत्र श्री गोपी
2. हीरालाल पुत्र गोपी

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम घेघा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. कल्ली देवी पत्नी छीतर
2. कैली देवी पत्नी श्री किशन
3. प्रेम देवी पत्नी रामसहाय
4. रामकरण पुत्र लादू (मृतक)

4/1 जवान पुत्र रामकरण

4/2 गणेश पुत्र रामकरण

4/3 नन्छी पत्नी रामकरण

समस्त जाति जाट निवासी ग्राम घेघा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

4/4 मोहनी पुत्री रामकरण पत्नी श्रवण निवासी ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

4/5 सुशीला पुत्री रामकरण पत्नी गणेश

4/6 प्रेम पुत्री रामकरण पत्नी गजानन्द

4/7 गुड्डी पुत्री रामकरण पत्नी रामदयाल

5. श्रवणी देवी पत्नी नानूराम

समस्त जाति जाट ग्राम घेघा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये [illegible] उपतहसील बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.12.27 12:39:58 IST
Reason: SelfAttested

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक : 02.11.2021

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि राजस्व ग्राम घेघा पटवार क्षैत्र अवानिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 16 व पुराना खाता संख्या 69 के खसरा नंबर 242 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 243 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 255 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर स्थित है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में उकत खसरा की भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/8–1/8 हिस्सा निहित है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/36, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/24, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/72, प्रतिवादी संख्या 4 का 5/8 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/24 हिस्सा दज्र एवं अंकित चला आ रहा है। वादीगण उपरोक्त वर्णित खाते की उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर रिकार्डेड काश्तकार की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करते आ रहे है। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि को एतद्पश्चात् "वादअधीन कृषि भूमि" शब्द से संबोधित किया जा रहा है। वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन नही हुआ है इसलिये वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उक्त वर्णित रकबा भूमि पर मनबट के आधार पर हुये तकासमें के आधार पर निरन्तर काबिज चलें आ रहें है। वाद अधीन कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एवं अंकित चली आ रही है इसलिये वादीगण ने समय–समय पर प्रतिवादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स में सस्स नरस के आधार पर विधिक विभाजन करनवाने हेतु कहा। पूर्व में तो प्रतिवादीगण विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरते रहे परन्तु अब चूँकि जयपुर जिला की कृषि भूमियो की बाजार दर में अत्यधिक वृद्वि हो चुकी है इसलिए प्रतिवादीगण की नियत की फितूर आ गया और वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द एवं प्लोटिंग कर विक्रय करने हेतु उतारू हो गये। जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रयहस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है क्योकि विधि अनुसार संयुक्त कृषि भूमि के प्रत्येक इन्च भाग पर सह–हिस्सेदार काश्तकार का विधिक कब्जा एवं विधिक रिकॉर्डेड खातेदारी अधिकार निहित होते है। प्रतिवादीगण उक्त गैर कानूनी व विधि विरूद्व तरीके से वादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.12.27 12:39:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर

Scanned by CamScanner

बेदखल करने एवं प्रतिवादीगण विशिष्ठ भू–भाग पर कब्जा कर एवं विशिष्ठ भू–भाग पर प्लोटिंग करके विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द करने पर उतारू है इस संबंध में वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 22.03.2021 को वादअधीन भूमि का पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के मध्य विधिक विभाजन कराने हेतु साफ इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को एलानियां धमकी दी कि वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर वह प्लॉट काटकर, निर्माण करके, विक्रय हस्तान्तरण करेगें तथा उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दम लेंगे। इसलिये तुम वाद अधीन कृषि भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से अपना कब्जा हटा लो अन्यथा बाहुबल के आधार पर तुमको बेदखल कर दिया जायेगा। जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। बिनायदावा अन्तिम रूप से दिनांक 22.03.2021 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने बिना विधिक विभाजन करवये ही वादीगण को वाद अधीन भूमि के विशिष्ठ भू–भाग से बाहुबल के आधार पर बेदखल करने, वाद अधीन कृषि भूमि के विशेष भू–भाग पर बाहुबल के आधार पर कब्जा करके कृषि भूमि से अकृषि में उपयोग करने हेतु प्लॉट काटकर कच्चा–पक्का पुख्ता निर्माण करने, पेड काटने तथा विशेष भू–भाग को विक्रय–हस्तान्तरण करके खुर्द–बुर्द करने की एलानियॉ धमकी दी, जो निरन्तर जारी हैं।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादीगण का वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर विधिक विभाजन की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावें कि वादग्रस्त आराजीयात ग्राम घेघा पटवार क्षैत्र अवानिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 16 व पुराना खाता संख्या 69 के खसरा नंबर 242 रकबा 0.4900 हैक्टेयर, खसरा नंबर 243 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा नंबर 255 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, कुल किता 3 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर का सरस नरस के आधार पर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर उक्त भूमि में वादीगण प्रत्यके के निहित 1/8 हिस्से की वादीगण पृथक खातेदारी में दर्ज किया जाकर राजस्व लगान एवं राजस्व नक्शा [illegible] जावें। [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्र[illegible] [illegible] आशय की जारी फरमाई जावें कि वादग्रस्त आराजीयात का बाई मीटस [illegible] बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाये बिना, [illegible] अथवा उसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से बैचान–हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, मोरगेज इत्यादि करने एवं ऐसे किसी भी लेख्य पत्र का पंजीयन करने से निषेद्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.12.27 12:39:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

रहे तथा वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा–काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने, विशिष्ठ भू–भाग पर प्लॉट काटकर कच्चा–पक्का निर्माण करने, हरे पेड काटने से निषेद्व रहें तथा अपने–अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिलिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेद्व रखें तथा राजस्व रिकॉंड एंव मौका की यथास्थिति बनायी रखें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ हाल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से श्री रामप्रसाद कुमावत एडवोकेट ने यू.टी. दी। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5, 6, की डिलीवरी रिपोर्ट वकील वादी द्वारा पेश की गई। लेकिन बावजूद सूचना प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5, 6, अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा अनुपस्थित रहने व वकालतनामा पेश नही करने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादपत्र पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा दस्तावेजात सूची के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात ग्राम घेघा पटवार हल्का अवानिया भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खाता संख्या नया 16 पुराना 69 के खसरा नंबर 242, 243, 255 से स्पष्ट है कि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है जिनके मध्य आदिनांक तक विधिक तकासमा नही हुआ है। ऐसे में वादग्रस्त आराजीयात का विधिक तकासमा किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 242 रकबा 0.49 हैक्टेयर, 243 रकबा 0.42 हैक्टेयर, 255 रकबा 0.34 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर वाकै ग्राम घेघा पटवार हल्का अवानिया भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड विधि सम्मत बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स उभयपक्षकार की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता व लगान कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस [illegible] प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवायें। इस आशय की [illegible] व तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.12.27 12:39:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मोतबिरानो को पढ़ा, सुनाकर समझाया गया। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुनकर एवं समझकर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये–

1. हीरालाल पुत्र गोपी जाति जाट (वादी)
2. बिरदीचन्द पुत्र गोपी जाति जाट (वादी)
3. श्रवणी देवी पत्नी नानूराम जाति जाट (प्रतिवादीया)
4. प्रेम देवी पत्नि रामसहाय जाति जाट (प्रतिवादीया)
5. कैली देवी पत्नि श्रीकिशन जाति जाट (प्रतिवादीया)
6. कैली देवी पत्नि छीतर जाति जाट (प्रतिवादीया)

निम्न प्रक्षकारो ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझकर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :–

1. जवान पुत्र रामकरण जाति जाट (प्रतिवादी संख्या 4 का जेष्ठ पुत्र)

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादी ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद में अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 4 के वारिसों के अधिवक्ता ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति कि की प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मौका अनुसार नही बनाई गई है न ही प्रतिवादी संख्या 4 के वारिसों के हस्ताक्षर प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर है। अतः प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का खारिज कर पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई जावें।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट अवलोन किया गया। अतः तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार कर वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पर्चा लगान जारी करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न जुज रहेगा। इस आशय की डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.11.2021 को लिखाया जाकर [illegible] इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.12.27 12:39:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–।** (आर.ए.एस.)

बिरदीचन्द **बनाम** कल्ली देवी वगै.

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/2021/47

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–। व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पर्चा लगान जारी करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न जुज रहेगा। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत् .....

..... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.11.2021 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत .....

ओहदा ..... सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान		00	मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.12.27 12:39:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner